राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 243/2015/जोधपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, पाली. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स यू. एस. एजेंसीज प्रा0 लिमिटेड, जोधपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 28/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 17/आरवेट/जेयूसी/14–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 30.05.2014 को वाहन संख्या आर.जे.19/जीए–0404 को चैक करने पर वाहन में 'रबर' (Natural Rubber) 4000 किग्रा. कोचिन (केरला) से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जाना पाया गया। माल प्रभारी द्वारा उक्त माल से सम्बन्धित जी.आर. नं0 432 दिनांक 29.5.2014 श्री कल्याणजी ट्रांसपोर्ट आबूरोड़, जी.आर. नं0 23167394 दिनांक 23.5.2014 नोर्थ इस्टर्न केरिंग कॉरपो. पीराव्याम, बिल संख्या 20 दिनांक 23.5.2014, रबर बोर्ड का फॉर्म संख्या एन–2 एवं घोषणा पत्र वैट 47 संख्या ए–0352346 जारी दिनांक 14.02.2012। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि घोषणा पत्र वेट–47 दिनांक 14.02.2012 को कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सी, जोधपुर द्वारा 2 वर्ष की समयावधि के लिये जारी किया गया है एवं चैकिंग दिनांक 30.05.2014 को कालातीत हो चुका है एवं निर्धारित स्थानों से पंच भी नहीं किया गया है। अतः उक्त घोषणा पत्र को

लगातार.....2

अविधिक मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,80,000/– का आरोपण आदेश दिनांक 30.05.2014 से किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय के आलोक में घोषणा पत्रों के कालातीत होने के आधार पर एवं नोटिस के जवाब में पुनः नया घोषणा पत्र प्रस्तुत कर देने के कारण अपील स्वीकार कर शास्ति अपास्त की गई।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश को विधिसम्मत बताते हुए अपीलीय आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये आधारों को पुनः दोहराते हुए केवल यह कथन किया कि नया घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर शास्ति को अपास्त किया जाना विधिक भूल है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मैसर्स डी.पी. मैटल्स** के निर्णय में केवल उन घोषणा पत्रों को ही स्वीकार किये जाने को उचित माना है जो पूर्व में अस्तित्व में थे।

4. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया।

5. इस प्रकरण में तथ्यात्मक रूप से यह निर्विवादित प्रमाणित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जो माल राज्य के बाहर से आयात कर परिवहनित किया जा रहा था उसके सम्बन्ध में विधिक बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जो वेट अधिनियम की धारा 76(2) के तहत अनिवार्य रूप से वांछित हैं, परन्तु प्रकरण में यह पाया गया था कि जो घोषणा पत्र वैट–47 क्रमांक ए–3523346 दिनांक 14.2.2012 को दो वर्ष की अवधि के लिये जारी किया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 13.02.2014 को पूर्ण होने के उपरान्त भी काम में लिया गया है क्योंकि प्रकरण में जांच दिनांक 30.05.2014 को की गयी थी। चूंकि प्रकरण में विवाद मात्र यह है कि क्या कालातीत घोषणा पत्र को तकनीकी भूल मानते हुए शास्ति को अपास्त किया जाना उचित है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अपीलीय आदेश में राजस्थान कर बोर्ड के निम्न निर्णयों को उद्धरित किया गया है :–

(अ) **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, ए/ई, आबूरोड़ बनाम ओम स्टील, अजमेर (2013) 37 टैक्स अपडेट 01**

(ब) **वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए/ई, बांसवाड़ा बनाम हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अलवर (2013) 36 टैक्स अपडेट 94**

लगातार.....3

(स) **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ए/ई द्वितीय, जोधपुर बनाम जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली**

(द) **जे.पी.फूड्स उदयपुर बनाम सहायक आयुक्त, ए/ई, उदयपुर (2013) 35 टैक्स अपडेट 316**

6. इसी सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2000) 120 एस.टी.सी. 212 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जोधपुर बनाम महावीर चन्द जैन एण्ड कम्पनी** में निर्णीत किया गया है कि :–

> "There is no dispute that on the expiry of date the form does not become non-est but very same form can be validated and given life for a further period by the concern officer."

7. इस प्रकार अपीलीय आदेश राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में पारित किया गया है। इस तरह प्रकरण में चूंकि वेट अधिनियम की धारा 76(2) के तहत समस्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे एवं वैट–47 केवलमात्र कालातीत होने के आधार पर शास्ति आरोपित की गयी थी, वह कर बोर्ड के निर्णयों के आलोक में उचित नहीं होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गयी है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश दिनांक 10.09.2014 की पुष्टि की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य